

लेत गुरु बाही दास शासकीय

रुवातकोत महाविद्यालय कुरुद  
जिला - चमकरी (द.ग.)

आंतरिक परिवाद समिति

(माहितीका मा कार्यपालक पत्र लेखिन्छ  
उत्तराञ्चल अधिनियम 2013)

दिनांक 06/08/21 पर संकास 1748/50/आ उ.शि. / द.ग. / 2021

गठन दिनांक - 14/08/21



उत्पत्ति और कार्यवाही की पहचान, पत्र, लेख और तालिका कार्यवाही के संबंधित किसी जानकारी, यथा स्थिति आंतरिक लिपि या व्यापक लिपि की मिश्रित या कार्यवाही को प्रकाशित या आवेगविक नहीं किया जाएगा।

आंतरिक परिवाद लिपि के संयोजक द्वारा व्य-पवाद गोपन उपलब्ध बनाने का काम की योजना की गयी।

*[Signature]*  
 संयोजक  
 श्रीमती एम. धृतराज

सदस्य डॉ. सुनीता अग्रवाल *[Signature]*

सदस्य श्रीमती शिवा बंगाली *[Signature]*

श्रीमती सुनीता अग्रवाल - सीनियर प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती शिवा बंगाली - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती सुनीता अग्रवाल - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)

श्रीमती सुनीता अग्रवाल - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती शिवा बंगाली - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती सुनीता अग्रवाल - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)

श्रीमती सुनीता अग्रवाल - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती शिवा बंगाली - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)  
 श्रीमती सुनीता अग्रवाल - प्राध्यापिका - स्त्रीशास्त्र (1)



कार्यालय प्राचार्य  
संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद,  
जिला- धमतरी (छ.ग.)

Website: [www.govtcollegekurud.in](http://www.govtcollegekurud.in)

दूरभाष- 07705-223375, ई-मेल: [pri-sggpgkurud.cg@gov.in](mailto:pri-sggpgkurud.cg@gov.in)

NAAC Accredited- B++

कुरुद, दिनांक 14/08/2021

क्रमांक / 183 / 2021

॥ आदेश ॥

आज दिनांक 14.08.2021 को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत पत्र क्रमांक 1748/50/आ.उ.शि./सम./2021 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2021 के संदर्भ में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -

1. संरक्षक - डॉ. ओ.पी.चन्द्राकर (प्राचार्य)
2. संयोजक - श्रीमती एस.घृतलहरे, (सहा.प्राध्या.- राजनीति)
3. सदस्य - डॉ. सुनीता अग्रवाल, (सहा.प्राध्या.- समाजशास्त्र)
4. सदस्य - श्रीमती शिबा वंजारी, (सहा.प्राध्या.- वनस्पतिशास्त्र)

(डॉ. ओ.पी.चन्द्राकर)

प्राचार्य

PRINCIPAL  
S.G.D. Govt. P.G. College  
Kurud, Distt. Dhamtari (C.G.)

संघटन  
13/08/21

कार्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक  
उच्च शिक्षा, रायपुर

शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर  
ईमेल ID - regadddirrpr@gmail.com, फोन नं. 0771-2262939

पत्र क. 1030/क्षे.कारा/ 2021

रायपुर, दिनांक 12.08.2021

प्रति,

प्राचार्य  
समस्त शासकीय महाविद्यालय  
रायपुर संभाग (छ.ग.)



- विषय:- महिलाओं का कार्य स्थलपर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)  
अधिनियम- 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारु रूप से लागू  
किये जाने बाबत।
- संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1784/50/ आउशि/  
सम./2021, दिनांक 06.08.2021।

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि अपने कार्यालयों में परिवाद समिति  
का गठन करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(डॉ. प. सी. चौबे)  
अपर संचालक  
क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा  
रायपुर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1784/50/आउशि/सम./2021

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06-08-21

प्रति,

1. क्षेत्रीय अपर संचालक,  
रायपुर, दुर्गा, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर (छ.ग.)।
2. कुलसचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)।
3. संचालक,  
छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,  
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)।
4. संचालक,  
छ.ग. साहित्य अकादमी,  
क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय,  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर
5. सचिव,  
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
शांति नगर एकता नर्सिंग होम के पास रायपुर (छ.ग.)।
6. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,  
छ.ग.।

विषय :- महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध और प्रतिरोध) अधिनियम-2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारु रूप से लागू किये जाने बाबत।

संदर्भ :- 1. अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 2040/1713/2021/38-1 दिनांक 02 जुलाई 2021  
2. महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 11-1/2020/1021/टीएल/माबवि/50 दिनांक 04.06.2021

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक 1785 /50/आउशि/सम./2021

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर  
छ.ग. को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जिला अधिकारी के सम्मिलित किया जाना—जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त कार्यवाही के एक सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करवाएगा।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मांग करने और आवश्यक सूचना, शिक्षा, समुचना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए उपबन्धित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त कार्यवाही के एक सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करवाएगा।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचलन के लिए उपबन्धित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त कार्यवाही के एक सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करवाएगा।

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से निवारण के लिए उपबन्धित करने के लिए अधिनियम के उपधारा (1) के अधीन प्राप्त कार्यवाही के एक सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करवाएगा।

(ख) स्थायी परिवार समिति के सदस्यों के लिए अभियन्त्याम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त कार्यवाही के एक सक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करवाएगा।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, वह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी निम्नलिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो करवाएगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

26. अधिनियम के उपबन्धों के अवनुपालन के लिए शास्ति—(1) जहाँ कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा,

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा, और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिकतम दंड से दुगुने दंड का दायी होगा;

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द किए जाने से सजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

1713/सा/21/78-1  
21-6-21

छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 11-1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 04/06/2021  
प्रति.

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, छ0ग0 राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास,  
छत्तीसगढ़

21-6-21

विषय:-विषय:-महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारु रूप से लागू किये जाने बाबत।

—00—

डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 एवं विषयांकित अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाईन की छायाप्रति संलग्न है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान के अनुसार परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। अतः कृपया अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाईन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन तत्काल करने का कष्ट करें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(विजया खेस्सा)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
क्रमांक एफ 11-1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 06/2021  
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर जावक क्र. 4728/दिनांक 08.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक रायपुर की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

21/6/21

(विजया खेस्सा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग

- (3) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यक्षी के विरुद्ध और साक्ष्य हो सके है, वहाँ, वहाँ, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी में निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—
  - (i) प्रत्यक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार बर्ताव के रूप में जो उचित समझा जा सके विरुद्ध नहीं होगा या उचित विधि में, जो विहित की जाए, प्रयोग के लिए कार्रवाई करेगा
  - (ii) प्रत्यक्षी को लागू सेवा नियमों में धिक्का देने के लिए उचित बर्ताव के रूप में जो उचित समझा जा सके विरुद्ध नहीं होगा या उचित विधि में, जो विहित की जाए, प्रयोग के लिए कार्रवाई करेगा
- (4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यक्षी के विरुद्ध अधिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या धामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिम्मे, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी।

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या धामक दस्तावेज दिया है, वहाँ वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

- (क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट,
- (ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;
- (ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;
- (घ) प्रत्यक्षी की आय और वित्तीय हैसियत;
- (ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005-का-22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यक्षी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहाँ कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

3

इस कानून का पालन अपने जिले में एवं सभी विभागीय कार्यालयों, निजी संस्था-  
उद्योगों में आवश्यक रूप से पालन कराने व निर्देश जारी कराने तथा इस कानून को  
जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का सादर अनुरोध है।

उक्त समिति का गठन सभी विभागों में प्रभावशाली ढंग से करना जाने  
की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोक  
जा सके और प्रभावशाली ढंग से उसका निराकरण भी किया जा सके, ताकि समस्त  
विभाग अंतर्गत कार्यरत महिलाएं स्वयं का सुरक्षित रह सकें।

संलग्न - अधिनियम की प्रति।

टीप - प्रदर्शन बोर्ड का प्रकाश ई-मेल में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार में सभी स्तरों  
में आंतरिक परिचाय समिति के बोर्ड का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

भवदीय

Kiran Koyas  
05.04.2021

(डॉ. किरणमयी नायक)

प्रति,

मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय, महानदी भवन,

अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन मासों के लिए पर धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहाँ स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(अ) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(ब) किसी उपबंध के लिए आवश्यक दस्तावेजों को नहीं उपलब्ध कराता है जो उपबंध के अंतर्गत उसे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, या

(3) किसी उपबंध के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराता है जो उपबंध के अंतर्गत उसे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, या

(4) स्थानीय समिति का इन प्रकार दुरुपयोग करना है, जिससे उसका अपने पर धारण रहना गौरेवर्ति प्रभाव डालने वाला हो गया है,

बना, यथास्थिति, उसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार मुक्ति रिक्रिज या किमी गिक्ति को इन धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से फिर स्थानीय समिति की कार्यवाहियों करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाए, हकदार होंगे।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् वित्तियों के राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाए, हकदार होंगे।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय 4

#### परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यक्ति महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। परंतु जहाँ ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास में अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) जहाँ व्यक्ति महिला, अप्रती शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. सुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यक्ति परंतु कोई घनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश से विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।





(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से किसी एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है।

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कृत सदस्यों में से कम से कम आठ सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आचार्यक सौमिन का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्षों के पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किया गया सदस्य का आचार्यक सौमिन को कार्यवाहक द्वारा नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते, जो विहित किए जाए, भुगतान किया जाएगा।

(5) जहां आचार्यक सौमिन का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध की कोई जांच चलित है, या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही है; या

(घ) अपनी हैमियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रति प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अ आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

### अध्याय 3

#### स्थानीय परिवार समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवार ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवार समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोटिस अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवार समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिनी के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए।

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिनी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी।

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

# महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्याक 14)

[2] अक्टूबर, 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और  
लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा  
प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके  
आनुषंगिक विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन गमता तथा संविधान के  
अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा में जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने  
या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त मुग्नित वातावरण का  
अधिकार भी है, उल्लंघन होता है:

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर  
करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत  
सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना  
समीचीन है:

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में सनद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न  
(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।  
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) "व्यथित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—  
(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यक्ष  
द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;  
(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास  
स्थान या गृह में नियोजित है;  
(ख) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—  
(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—  
(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन,  
नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः  
वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;  
(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या  
अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अर्धीन अधिलिखित बात या समझौते की प्रतिलिपि और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को और जांच नहीं की जाएगी।

### 11. परिवार की जांच—

(1) धारा (10) के अंतर्गत कोई भी प्रत्यर्थी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को कर्मचारी के वहां प्रत्यर्थी को प्राप्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय किछपाने नहीं है, जो किस्मि की जांच, परिवार की जांच करने या कोई-कही करनी या किसी अन्य बरकरार की दशा में, स्थानांतरण या कोई प्रत्यर्थी सामान्य विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और अज्ञात साधु ही, वहां उक्त संहिता के अंतर्गत उपबन्धों के अधीन सामान्य नज़र रखने के लिए मात्र दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु जहां व्यक्ति महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवार की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनका समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धोप ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यक्ति महिला को ऐसी राशि के मद्य का, जो वह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समान करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

### अध्याय 5

### परिवाद की जांच

12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई—(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यक्ति महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यक्ति महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यक्ति महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यक्ति महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यक्ति महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

मती किरणमयी नायक  
अध्यक्ष

छ.ग. राज्य महिला आयोग



अर्धशासकीय पत्र क्रमांक

दिनांक 05/04/2021

छ.ग. राज्य महिला आयोग

राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

सम्पर्क 0771-2433488 फ़ैक्स 0771-2429977

टोल फ्री 1800-233-4299

Email: cgmahilaayog@gmail.com, chairperson.cgswea@gmail.com

Website: www.cgmahilaayog.com

विषय- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)  
अधिनियम 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारु रूप से  
लागू किये जाने बाबत।

महिला राज्य महिला आयोग  
मंत्रालय, रायपुर  
दिनांक 05/04/2021  
आदेश क्रमांक 05/04/2021

विषयांतर्गत अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये निर्देश  
के अनुसार पूर्व में विशाखा गाईडलाइन प्रचलन में थी, इसके उपरान्त संसद में 2013 में  
कानून बनाते हुए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और  
प्रतितोष) अधिनियम 2013 निर्मित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित कानून का निर्माण  
और इस कानून के निर्माण के साथ ही भारतीय दंड संहिता में भी धारा 354ए, 354बी,  
354सी और 354डी को भी जोड़ा गया है। उपरोक्त कानून नया होने के कारण इसकी  
जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाने के कारण अब तक प्रभावशाली ढंग से  
लागू नहीं किया जा सका है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार समस्त कार्यस्थल (शासकीय,  
अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपक्रम) जहाँ भी 10 या 10 से अधिक कर्मचारी  
कार्यरत है, ऐसे सभी कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints  
Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस समिति में 01 पीठासीन अधिकारी  
(अध्यक्ष), 02 सदस्य जिन्हें समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान हो तथा 1 सदस्य  
गेर सरकारी संगठनों/संगमों (NGO) से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध  
हो। ऐसे समस्त कार्यस्थल (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपक्रम),  
जहाँ उक्त समिति गठित नहीं है, वहाँ रु. 50,000/- तक का आर्थिक दण्ड का भी  
प्रावधान है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार परिवाद नियोजक के विरुद्ध हो वहाँ  
प्रत्येक जिलाधिकारी (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर) जिले के लिए स्थानीय  
परिवाद समिति (Local Complaints Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है  
तथा इसे प्रत्येक जिले में लागू भी किया गया है।

महिला आयोग के विगत 06 माह के कार्यकाल की सुनवाई में अनेक ऐसे  
प्रकरण सामने आए हैं, जहाँ शासकीय कार्यालयों में भी उपरोक्त समितियों का गठन  
नहीं किया गया है, जबकि इसे प्रत्येक कार्यस्थल में लागू किया जाना है। अतः  
अधिनियम की धारा 04 के अनुसार मंत्रालय अंतर्गत समस्त विभाग में इसका गठन  
कराए जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय अंतर्गत समस्त विभाग से  
मीटिंग आहूत कर आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्यतः कराने तथा इसका  
सार्वजनिक बोर्ड हर विभाग में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने हेतु निर्देशित करें। साथ  
ही अधिनियम की धारा 05 के अनुसार गठित समिति की नियमित बैठक कराने हेतु  
निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय के साथ-साथ सगस्त जिला कलेक्टर को

निवास/कार्यालय : नायक एडवोकेट चेम्बर, जी.ई. रोड, तात्यापारा, रायपुर (छ.ग.)

मोबाईल : +91 94255 35683



CHIEF SECRETARY'S OFFICE  
No. 4728  
Date 08/04/2021

TIL  
DS (W) / Dir  
(WCD)

आदेश क्रमांक 05/04/2021

उस पर कार्यवाही करने का बर्तव्य सीमा यथा है. धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन होगा, यदि वह एक व्यक्ति को कार्य में क उपबंधों के अनुसार या जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, बराबर सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए प्रेषित किया जाय. धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन के धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन के धारा 16 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन के धारा 17 के अधीन की गई नियमित या ऐसी नियमित के कार्यालयों में कार्य करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही पर अधिकार को अन्तर्गत में समाप्त हो सकेगा कि जहाँ ऐसे नियम विद्यमान नहीं हैं, बराबर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत कार्यवाही पर अधिकार को अन्तर्गत में समाप्त हो सकेगा जो विहित की जाए, अधीन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधीन, निम्नलिखितों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

#### अध्याय 6

#### नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविज्ञान कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिचाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्था और शक्तियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिचाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिचाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहाँ अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

#### अध्याय 7

#### जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—जिला अधिकारी,—

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

#### अध्याय 8

#### प्रकीर्ण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलेंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

No.: L-201-22-1148  
AD: (A) / JDN: / DD: /  
Section: नवा रायपुर  
8 JUL 2021

2 JUL 2021

कमांक 2040 / 1713 / 2021 / 38-1

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 07 / 2021

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर,  
रायपुर, छ.ग.

विषय:—महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारु रूप से लागू किये जाने बाबत।

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त पत्र कमांक एफ 11-1/2020/1021/TL /मबावि/50, दिनांक 04.06.2021 के साथ संलग्न डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 255 दिनांक 05.04.2021 की छायाप्रति संलग्न है। आदेशानुसार अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013 गाईड लाईन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन कर, विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

14/7/2021

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रचलित विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त होने, न कि उनके अन्वेषण में।

29. मनुस्त्रिण सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) संसद सरकार एक अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार में अधिभूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) अधिनियम द्वारा और पुर्णगामी अधिनियम की शक्ति का एक उपबंध के अन्तर्गत करने के लिए, संसद सरकार अधिनियम को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार में अधिभूचना द्वारा, बना सकेगी।

(अ) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम को संसद को जाने वाला प्रारंभिक रूप में।

(ब) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (स) के अधीन अधिनियमों को नामनिर्देशित।

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियमों और अधिनियमों को संसद की जाने वाली चीजों या चीजों।

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा।

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति।

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियाँ।

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राशियाँ।

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (1) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति।

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति।

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति।

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति।

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुराही बनाने के लिए कार्यशालाएँ, जानकारी व आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारंभ और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक संसद के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनो नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त पूर्व दोनो संसद सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिबल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् जहाँ राज्य विधान-मंडल के दो संसद हैं, वहाँ प्रत्येक संसद के समक्ष या जहाँ ऐसे विधान-मंडल का एक संसद है, वहाँ उस संसद रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों। कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक संसद रखा जाएगा।